दिनांक 24.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना घोसी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.12.2025 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संतोष निवासी खानकाह बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.12.2025 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरैया चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैदपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी ग्राम रोटीगॉव थाना जहॉगीराबाद जनपद बाराबंकी।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 नाल लोहा छोटी बड़ी**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 24.12.2025 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढ़ाना–कांधला मार्ग से मंदवाडा को जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–असलम 2–महताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों कब्जे/निशादेही से 20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 नाल लोहा छोटी बड़ी, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त महताब के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–असलम निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर हालपता–ग्राम परासौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–महताब निवासी कुल्हेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर हालपता–मिमलाना रोड न्याजूपुरा थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–20 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर ।

2–07 नाल लोहा छोटी बड़ी।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना एलाऊ

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 10 मोटर साइकिल

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनॉकः 24.12.2025 को थाना एलाऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एलाऊ चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–मंजेश 2–कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना एलाऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंजेश निवासी महलई थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़।

2–कुलदीप निवासी नगला समाई थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद बाराबंकी/थाना दरियाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना दरियाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–चन्द्रशेखर 2–अर्जुन 3–राजू 4–दिनेश 5–जितेन्द्र धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 75–75 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 120–बी सपठित धारा 302 भादवि के अन्तर्गत धारा 109 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना पीपीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पीपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–मनीष कुमार 2–राजेश 3–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना शिकारपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नरेन्द्र 2–सुमित को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मथुरा/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भूरी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना चरथावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/506(2) भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–यामीन 2–यासीन को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजू उर्फ संजय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 24.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 48 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा बांदा इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 24.12.2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ एवं बांदा इकाइयों द्वारा **दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई** की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा श्री लोकेश बैसला निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत से विवेचना में नाम निकालने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में नन्दविहार गेट नं0-2 रोहटा रोड थाना क्षेत्र ककंरखेड़ा जनपद मेरठ से **निरीक्षक ना0पु0 महेन्द्र सिंह (तैनाती प्रभारी डीसीआरबी जनपद हापुड़)** पुत्र स्व0 हरि सिंह ग्राम व पोस्ट रामराज थाना रामराजपुर जनपद मुजफ्फरनगर को **4 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई द्वारा श्री सुरेन्द्र निवासी ग्राम नगारा घाट थाना पनवाडी जनपद महोबा से एक्सीडेन्टल केस में रिकवरी करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री श्याम बाबू के नेतृत्व में संतोष अग्निहोत्री का मकान पनवागी नायक तिगैला थाना पनवाडी जनपद महोबा से राजस्व विभाग के **संग्रह अमीन कृष्ण कुमार (तैनाती तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा)** पुत्र स्व0 रिशाल निवासी 118 डीएम आवास के पीछे गली नं0-1 बजरंग वार्ड गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।